फर्द अहकाम

राजस्व - पत्रावली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़ जिला-राजसमन्द

20 सन् 2015 किस्म मुकदमा वाद

धर्मचन्द बनाम श्रीपति लाल वगैरह

आदेशिका	हस्ताक्षर / सूचना
तहसीलदार कुंभलगढ़ से प्रारम्भिक डिक्री की पालना में विभाजन फहरिस्त व नक्शा ट्रेस प्राप्त हुए। जिस पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता पक्षकारान को विभाजन फहरिस्त व नक्शा ट्रेस पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। जिसके बाद प्रकरण का निर्णय किया जाता है व विभाजन फहरिस्त एवं नक्शा ट्रेस अनुसार पृथक पृथक खाते दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार कुंभलगढ़ से प्राप्त विभाजन फहरिस्त अनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। पालना हेतु डिक्री की प्रमाणित प्रति व नक्शा ट्रेस की स्वीकृत एवं प्रमाणित प्रति तहसीलदार कुंभलगढ़ को भेजी जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नाखत से रूह अवली फैसल शुमार होकर नाखत से रूह हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ़ जिला-राजसमन्द

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ़